(3)

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 पिटिशन सं0– 02/2019–20

नारायण चन्द्र मंडल .....आवेदक

बनाम्

प्रखंड विकास पदाधिकारी, रानेश्वर एवं अन्य ..... विपक्षी

।। आदेश ।।

31 /03 /2021 यह आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड रांची के डब्लू.पी.(सी.) सं0– 5264/2018 में पारित आदेश दिनांक 21.12.2018 के अनुपालन के आलोक में दायर किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख में दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

आवेदक द्वारा दाखिल अपने आवेदन एवं लिखित बहस में कहा है कि मौजा सुखजोड़ा के खाता नं0 305 लोटन मंडल, पिता– नवीन मंडल के नाम से गैंजर सर्वे सेटेलमेंट में दर्ज है। उक्त खाता के अन्तर्गत दाग सं0 974 रकवा 02 कठ्ठा 09 धूर जमींन ''दुर्गा स्थान'' बोलकर दर्ज है। वर्त्तमान सर्वे में प्रश्नगत दाग 1023 रकवा 0.05 डीसमील जमाबंदी सं0 297 के रूप में नीलकमल मंडल, पिता लोटन मंडल एवं हरिपद मंडल, पिता कमल मंडल जो गैंजर सर्वे रैयत के पुत्र एवं पोता है, के नाम से दर्ज है। प्रश्नगत जमींन पर बहुत पुरान मंदिर बना हुआ है जो आवेदकों का पूर्वजों की सम्पत्ति है। इस पर प्रत्येक वर्ष बिना ''चंदा'' उठाये दुर्गा पूजा मनाया जाता है। इस पर किसी प्रकार का कोई समिति नहीं बनायी जाती है बल्कि आवेदकों के पूर्वजों के द्वारा ही पूजा की जाती रही है। दिनांक 14.09.2018 को अंचल अधिकारी, रानीश्वर, प्रखंड विकास पदाधिकारी, रानीश्वर एवं थाना प्रभारी रानीश्वर थाना की उपस्थिति में पूजा की व्यवस्था एवं देखभाल के

(4)

लिये एक समिति का गठन किया गया है। जिसमें प्रथम एवं द्वितीय पक्ष के 10–10 समिति के सदस्य बनाये गये है। उनका कहना है कि इस तरह व्यक्तिगत पूजा स्थल पर समिति बनाया जाना न्यायसंगत नहीं है। साथ ही धार्मिक स्वतन्त्रता पर हस्तक्षेप करना है। अतः दिनांक 14.09.2018 की बैठक में पारित प्रस्ताव जो अंचल अधिकारी, रानीश्वर के ज्ञापांक 1405/रा0 दिनांक 14.09.2018 द्वारा कार्य रूप में लाया गया है, को निरस्त किया जाय।

अंचल अधिकारी, रानीश्वर के ज्ञापांक 1405/रा0 दिनांक 14.09.2018 जो बैठक में लिया प्रस्ताव से संबंधित है, का अवलोकन किया। जिसमें स्वपन कुमार घोष को अध्यक्ष एवं निमाय सुन्दर पातर को सचिव के अलावे दोनों पक्षों के 10–10 सदस्यों को पूजा समिति के सदस्य चयन किया गया है।

विपक्षी निमाय सुन्दर पातर द्वारा दाखिल लिखित बहस में कहा है कि दिनांक 14.09.2018 को बनाया गया यादवपुरा दुर्गा पूजा समिति स्थानीय लोगों द्वारा पूजा की व्यवस्था के लिये बनाया गया था जिसमे विपक्षी दुर्गा पूजा समिति का सचिव था। दिनांक 14.09.2018 को बनाया गया समिति दुर्गा माता की प्रतिमा विसर्जन के पश्चात स्वतः समाप्त हो जाती है। अतः आवेदक के आवेदन को निरस्त किया जाय।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि दुर्गा स्थान आवेदक का निजी जमींन पर अवस्थित है एवं काफी वर्षो से आवेदक के निजी व्यवस्था पर ही पूजा होती आ रही है। पूजा पर श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा है। सभी सार्वजनिक रूप से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। चूकि दुर्गा पूजा प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और समिति भी अस्थायी रूप से गठित की जाती है। दिनांक

(5)

14.09.2018 को गठित समिति पूजा समाप्ति के पश्चात स्वतः समाप्त हो गया।

निदेश दिया जाता है कि आवेदक एवं ग्रामीण मिलकर आपसी सद्भाव के साथ पूजा सम्पन्न कराने की व्यवस्था करेंगे। साथ ही शांति एवं विधि–व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रशासन को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

22/3/21 - 20/4/21

इसी समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त
दुमका।
31/3/2021

उपायुक्त
दुमका।
31/3/2021

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.10 13:05:33 +05:30
Location: 169.254.227.244